

1  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी  
पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 271/2025  
दायर दिनांक :- 27.08.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/494  
निर्णय दिनांक :- 24.03.2026

1. आनन्दसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी टेपू तह. बाप जिला फलोदी
  2. समदकंवर पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी टेपू तह. बाप जिला फलोदी
- प्रार्थीगण

बनाम

1. अखेसिंह पुत्र प्रयागसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
2. तुलछकंवर पत्नी फतेसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
  2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. अ.सं. 1 व 2
  3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1/2 रकबा 6.4183 हैक्टियर सरहद मौजा कानासी मोटी पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 11.01.2025 को जारी आदेश क्रमांक 2025/49472/13 की पालना में दिनांक 22.05.2026 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 22.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 22.05.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब में बताया कि ग्राम कानासी मोटी पटवार

Saty ..  
उप खण्ड अधिकारी  
फलोदी

क्षेत्र टेपू जोधाणी के खेत खसरा नम्बर 1/2 रकबा 6.4183 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान उपरान्त विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर अधिवक्ता श्री ओप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासी मोटी पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी के खेत खसरा नम्बर 1/2 रकबा 6.4183 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 22.05.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासी मोटी पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी के खेत खसरा नम्बर 1/2 रकबा 6.4183 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 22.05.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासी मोटी पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी के खेत खसरा नम्बर 1/2 रकबा 6.4183 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 22.05.2025 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Satyajit*  
(सत्य नारायण-I, R.A.S.)  
उपमुख्य कलेक्टर एवं  
समूह अधिकारी  
बाप (फलोदी)